

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या — 05/2024

दायर दिनांक — 02.01.2024

## उनवान

1. गोपाल पिता छोगा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. सोहन पिता छोगा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. हीरी पत्नि छोगा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

—( प्रार्थीगण)

## बनाम

1. घीसी पुत्री बरदा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. सुखदेव पिता बरदा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. रामराज पिता महावीर कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. रामप्रसाद पिता सोचन्द कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. सत्यनारायण पिता घीसा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. सोराज पिता रायचन्द्र कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. मदन पिता घीसा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
8. रतना पिता रायचन्द्र कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. रामकरण पिता घीसा कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
10. रतनी देवी पत्नि जगदीश कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
11. मदन पिता रघुनाथ कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
12. रामकिशन पिता रघुनाथ कुमावत नि. बडला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

—( अप्रार्थीगण)

उपस्थित—

प्रार्थीगण अधिवक्ता— श्री योगेश आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

## आदेश

दिनांक — 11.09.2025


प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल बडला भू.अ.नि. बासेडा तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 436 के आ.न. 168 कुल किता 01 कुल रकबा 01.0100 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल बडला भू.अ.नि. बासेडा तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 436 के आ.न. 168 कुल किता 01 कुल रकबा 01.0100 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बासेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ओमप्रकाश)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकला जिला भीलवाडा  
फूलियाकला, जिला-भीलवाडा